कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–5/स्थानांतरण/2019–20/134 दिनांक–16.10.2019 के तहत दिनेश कुमार शर्मा व्याख्याता अर्थशास्त्र राउमावि मण्डा मदनी दातारामगढ़ सीकर स्थानांतरणाधीन राउमावि. छाजा की नांगल पाटन सीकर का स्थानांतरण राउमावि गुढ़ा, बैरसल जयपुर किया गया। दिनेश कुमार शर्मा ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 4733/2019 दिनेश कुमार शर्मा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 4733/2019 में माननीय अपील अधिकरण जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2019 द्वारा अपीलार्थी दिनेश कुमार शर्मा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष इच्छित रिक्त पदों को दर्शाते हुए अपना अभ्यावेदन पेश करने तथा अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विभागीय दिशा निर्देशों एवं नियमों के अन्तर्गत एक आख्यात्मक आदेश (SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारण करने तथा ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने के आदेश प्रदान किये।

माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी दिनेश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में पत्नी के कैंसर पीडित होने एवं पुत्र मानसिक रोग से ग्रसित होने के आधार पर अपना पदस्थापन श्री डेडराज खेतान राउमावि. लोसल सीकर अथवा राबाउमावि. श्रीमाधोपुर सीकर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई है।

माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी दिनेश कुमार शर्मा व्याख्याता, अर्थशास्त्र द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता से परीक्षण एवं मनन किया गया । अपीलार्थी की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों (पत्नी के कैंसर रोग से पीडित) के मद्देनजर इनका पदस्थापन/समायोजन राउमावि श्री डेडराज खेतान (213367) दातारामगढ सीकर, व्याख्याता अर्थशास्त्र के रिक्त पद पर किया जा कर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता हैं । सभी पक्षकार सूचित हो ।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/4733/19/दिनेश/10 दिनांक:–26/06/2020

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (ग्रुप–2) शासन सचिवालय जयपुर।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा ।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रति प्रेषित कर लेख है कि न्यायिक प्रकरण का निस्तारण करावें।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
8. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान